भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2192
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत व्यापक सुगम्यता

2192. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सुगम्यता लक्ष्यों, विशेष रूप से सार्वजनिक भवनों, परिवहन अवसंरचना के पुन:संयोजन और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ाने में, को प्राप्त करने में हो रही महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) सार्वजनिक परिवहन, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर व्यापक सुगम्यता सुनिश्चित करने और उन्हें पूर्ण सुगम्य बनाने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अब तक केंद्रीय सरकार की केवल 95 वेबसाइटों को ही सुगम्य बनाया गया है और यदि हां, तो केंद्रीय सरकार की सभी वेबसाइटों की पूर्ण सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य आने वाले निर्माण में कार्य, भूमि और भवन" राज्य सूची का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार शेष भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित समीक्षाओं के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय कर रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- विभिन्न साइटों की सुगम्य लेखा परीक्षा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 59 सुगम्य लेखा परीक्षक को पैनल में शामिल किया है। इसके अलावा, वेबसाइट/एप्लिकेशन की लेखा परीक्षा के लिए 10 वेब/डिजिटल सुगम्यता लेखा परीक्षक को पैनल में शामिल किया गया है।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम में बी. प्लान और बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिए समावेशी शहरी नियोजन और सुगम्य निर्मित वातावरण पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के साथ साझेदारी की है ।
- राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के तहत जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अपने ऐतिहासिक निर्णय में, सरकार को इस अधिनियम की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियमों को बनाने सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विषय विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। वर्तमान में यह विभाग आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के नियम 15 को संशोधित कर रहा है, ताकि गैर-परक्राम्य और परक्राम्य सुगम्यता मानकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।
- सुगम्य भारत, जो सुगम्यता से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है, को नया रूप दिया गया है तथा दिव्यांगजनों को शामिल करके इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल (यूजर फ्रैंडली) बनाया गया है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रावधान है कि "सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुगम्य बनाया जाएगा"। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 46 में यह भी प्रावधान है कि "सेवा प्रदाता, चाहे वे सरकारी हों या निजी, ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 40 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सुगम्यता नियमों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेंगे"।

केंद्र सरकार की वेबसाइटों की सुगम्यता के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत 95 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिसमें डिजिटल सुगम्यता मानकों के प्रावधान शामिल हैं। संबंधित संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की अन्य वेबसाइटों को भी सुगम्य बनाया जा रहा है।
